न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पिडावा जिला झालावाड (राज.)

पीठासीन अधिकारीः–दिनेश कुमार मीणा आर.ए.एस.

प्रकरण सं0 28/2026 दायर दिनांकः 27.01.2026

उनवान

1. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार तहसील सुनेल जिला झालावाड

प्रार्थी

बनाम

1. अंगूरी पुत्री कारूलाल जाति मेघवाल नि. सनोरिया
2. तूफानलाल पुत्र माधू जाति मेघवाल नि. सनोरिया
3. नानूराम पुत्र पूरिया जाति मेघवाल नि. सनोरिया
4. प्रेमबाई पुत्री माधू जाति मेघवाल नि. सनोरिया
5. बगतबाई पुत्री माधू जाति मेघवाल नि. सनोरिया
6. बाला पुत्र लालचन्द जाति मेघवाल नि. सनोरिया
7. बालीबाई पुत्री हीरा जाति मेघवाल नि. सनोरिया
8. भवानीराम पुत्र माधू जाति मेघवाल नि. सनोरिया
9. मनीषा पुत्री कारूलाल जाति मेघवाल नि. सनोरिया
10. रतनीबाई पुत्री माधू जाति मेघवाल नि. सनोरिया
11. सुगनाबाई पुत्री हीरा जाति मेघवाल नि. सनोरिया
12. सोपतबाई पुत्री माधू जाति मेघवाल नि. सनोरिया

अप्रार्थीगण

<u>प्रार्थना पत्र धारा 136 एल.आर.एक्ट</u>

उपस्थिति :–

प्रार्थी : – पैरोकार सरकार

अप्रार्थीगण :– एकतरफा

Signature Not Verified

<u>आदेश</u> दिनांक : 24.03.2026

Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2026.05.15 13:56:54 IST
Reason: SelfAttested

संक्षिप्त में प्रकरण इस प्रकार है कि सैटलमेन्ट संवत् 2022–41 में तहसील सुनेल के ग्राम सनोरिया पटवार हल्का बोलिया बुजुर्ग आराजी खाता सं.

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज.)

Scanned with OKEN Scanner

253/197, खसरा से 215 रकबा 0.0379 हेकट और खसरा सं. 218 रकबा 0.1897 हैक्ट में अप्रार्थी पुरिया वल्द किशना जाति चमार सा देह जेली खातेदार के रूप में भू प्रबंध विभाग द्वारा दर्ज किया गया है। यह कि सेटलमेंट सम्वत् 2022—41 में हाल खसरा स. 215 और 218 के गत खसरा सं क्रमशः 162 और 163 दर्ज था, जो सेटलमेंट सम्वत् 2003 में मकबुजा सरकार दर्ज था। यह कि अप्रार्थी पूरिया वल्द किशना फौत हो जाने पर जमाबन्दी सम्वत् 2072—76 में नामान्तरण सं. 674 से वारिसान नानूराम, पारीबाई, बाला, माधू हीरा पुत्र/पुत्रीगण स्व. पूरिया गैर खातेदार के रूप में दर्ज रिकार्ड है। पारीबाई पत्नि स्व. लालचन्द फौत होने से नामान्तरण सं. 674 से वारिसान बाला पुत्र स्व. लालचन्द और माधू पुत्र स्व. पूरिया फौत हो जाने से नामान्तरण सं. 1062 से वारिसान भवानीराम, तुफानलाल, सोपतबाई, भगतबाई, प्रेमबाई रतनबाई पुत्र/पुत्रीगण व माधू और काशलाल के फोत हो जाने से नामान्तरण 1069 वारिसान मनीषा अंगुरी पुत्रीयां कारूलाल तथा हीरा पुत्र स्व. पूरिया के फौत हो जाने से नामान्तरण सं. 1071 से वारिसान बालाबाई. सुगनाबाई पुत्री स्व. हीरा जाति मेघवाल सा सनोरिया दर्ज रिकार्ड है। तथा अप्रार्थीगणों का कब्जा काश्त नहीं है या अन्य द्वारा काश्त किया जा रहा हैं। वादग्रस्त आराजी खसरा सं. 215 रकबा 0.0379 हेक्ट, खसरा सं. 218 रकबा 0.1897 हैक्ट. जमाबन्दी सम्वत् 2018—21 में खाता सरकार दर्ज थी। लेकिन सेटलमेंट कार्य के दौरान सेटलमेंट विभाग के कार्मिकों द्वारा बिना किसी सक्षम प्राधिकारी या न्यायालय के आदेश के राजस्व रिकार्ड की मूल प्रविष्ठियों में परिवर्तन कर खाता सरकार से अप्रार्थी पूरिया वल्दा किशना जाति चमार की जैली खातेदारी के रूप में दर्ज कर दी। जबकि सेटलमेंट विभाग को इसका कोई अधिकार नहीं है। अत निवेदन है कि वादग्रस्त आराजी के राजस्व रिकार्ड की मूल प्रविष्टि में की गई त्रुटि को 4/5 136 एल आर एक्ट दुरुस्त कर पुनः खाता सरकार दर्ज किया जाये।

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2026.05.15 13:56:54 IST
Reason: SelfAttested

2. प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। [illegible] तामील [illegible]न की गई। अप्रार्थीगण के बावजूद सूचना [illegible] आदेशिका दिनांक 13.03.2026 से उनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही की गई।

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज.)

Scanned with OKEN Scanner

3. प्रार्थी पेरोकार सरकार द्वारा प्रार्थना पत्र के समर्थन में दस्तावेजी साक्ष्य में पटवारी हल्का की रिपोर्ट, ग्राम सनोरिया की सं. 2022–41 की जमाबंदी खाता सं. 72, मिलान क्षेत्रफल, जमाबंदी सं. 2072–75 के खाता सं. 253, खसरा गिरदावरी सं. 2081, खसरा नक्शा दिनांक 21.04.2025, खसरा मौजा सेटलमेंट डिपार्टमेंट, राजस्व विभाग जयपुर का परिपत्र दिनांक 20.11.2007 की नकल आदि पेश की।

4. प्रार्थी पैराकार सरकार ने लिखित बहस पेश की। पेरोकार सरकार ने बहस के दौरान प्रार्थना पत्र में अंकित बिन्दुओं को दोहराते हुए कथन किया कि ग्राम सनोरिया के ख.नं. 215 रकबा 0.0379 है. एवं खसरा न0 218 रकबा 0. 1897 है. किता 2 भूमि जमाबंदी सं. 2018–21 में खाता सरकार दर्ज थी लेकिन सेटलमेंट के दौरान सेटलमेंट विभाग द्वारा बिना किसी सक्षम आदेश के राजस्व रिकार्ड की प्रविष्टियों में परिवर्तन कर अप्रार्थी के नाम जैली के रूप में दर्ज कर दी और बाद में राजस्व कार्मिकों द्वारा गैर कानूनी रूप से गैर खातेदार दर्ज कर दिया गया। उक्त गैरखातेदार द्वारा किसी प्रकार का आवंटन आदेश प्रस्तुत नहीं किया है एवं जिला रिकार्ड रूम से भी किसी प्रकार का आवंटन दस्तावेज प्राप्त नहीं हुआ है। गैरखातेदार अप्रार्थीगण का वादग्रस्त आराजी पर कभी भी कब्जा काश्त नहीं है जो कि आवंटन शर्तो के प्रतिकूल है। वादग्रस्त भूमी पर अन्य लोगों द्वारा कब्जा किया हुआ है। अतः गैरखातेदारी से खाता सरकार दर्ज किया जावे।

5. पैरोकार सरकार ने आगे तर्क किया कि अप्रार्थीगण के बावजूद सूचना नियत तारीख पेशी पर अनुपस्थित रहने से भी प्रथम दृष्टया जाहिर होता है कि अप्रार्थीगण के पासे अपने पक्ष में कोई जवाब/साक्ष्य नहीं है।

6. पैराकार सरकार की एकतरफा बहस के प्रकाश में पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थी द्वारा पेश ग्राम सनोरिया तहसील [illegible] भू प्रबंध विभाग की जमाबंदी संवत् 2022 से 41 के अवलोकन से स्पष्ट है कि ख.नं. 215 रकबा 0.0379 है. एवं खसरा न0 218 रकबा 0.1897 है. किता 2 पूरया वल्द किसना

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2026.05.15 13:56:54 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज०)

Scanned with OKEN Scanner

6

जाति चमार के नाम जैली काश्तकार के रूप में दर्ज है। प्रार्थी द्वारा पेश ग्राम सनोरिया तहसील सूनेल की भू प्रबंध विभाग कि मिलान क्षै0 के अवलोकन से जाहिर है कि हाल ख.नं. 215 रकबा 0.0379 है. एवं खसरा न0 218 रकबा 0.1897 है. किता 2 साबिक खसरा न0 162, 163 व 164 से बना हुआ है। सेटलमेंट विभाग संयुक्त राजस्थान राज्य कोटा की जमाबंदी संवत 2003 के अवलोकन से जाहिर है कि खसरा न0 162 खाता मकबुजा सरकार दर्ज था। गैरखातेदार अप्रार्थीगण द्वारा भी किसी प्रकार का आवंटन आदेश प्रस्तुत नहीं किया है अतः स्पष्ट है कि सेटलमेंट विभाग द्वारा भूमि आवंटन सलाहकार समिती के आवंटन आदेश के बिना ही प्रार्थी सरकार की वादग्रस्त आराजी की राजस्व रिकॉर्ड की प्रविष्टियों को परिवर्तित कर पूरया वल्द किसना जाति चमार की गैर खातेदारी में दर्ज कर दिया गया जो विधि विरूद्ध है।

7. माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय एवं राजस्व मंडल अजमेर द्वारा विभिन्न निर्णयों मे यह सिद्धांत प्रतिपादित किया है कि सेटलमेंट विभाग को राजस्व रिकॉर्ड की मूल प्रविष्टियों मे बिना किसी सक्षम आदेश के परिवर्तन करने का कोई अधिकार नही है। यह भी स्थापित किया है कि कोटा राज्य के जैली काश्तकार को खातेदारी अधिकार प्रदान नही किये जा सकते है। प्रार्थी तहसीलदार एवं हल्का पटवारी व भू अभिलेख निरिक्षक हेमडा की रिपोर्ट दिनांक 29.07.2025 के अनुसार हस्तगत प्रकरण में वादग्रस्त आराजी पर गैर खातेदार अप्रार्थी गण का वर्षों से कब्जा काश्त नही होकर अन्य लोगो का कब्जा है। धारा 136 एल आर एक्ट के अधीन सेटलमेंट विभाग द्वारा अविधिक रूप से की गई प्रविष्टियों या त्रुटियों को दुरूस्त किया जा सकता है।

8. राजस्व (ग्रुप 6) विभाग जयपुर के परिपत्र कमांक प. 9(225) राज–6/07/38 दिनांक 20.11.2007 के अनुसार यदि भू प्रबंधन प्रकिया के दौरान भू प्रबंध अधिकारियों द्वारा बिना किसी आ[illegible] किसी व्यक्ति को गैर खातेदार दर्ज कर दिया गया है तो [illegible] स्थिति मे [illegible]बंध के दौरान हुयी त्रुटियों को धारा 136 एल आर एक्ट के [illegible] दर्ज कर दर्ज गैर

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2026.05.15 13:56:54 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज०)

Scanned with OKEN Scanner

खातेदारी की प्रविष्टि को हटाने के लिए उपखण्ड अधिकारी न्यायालय में संबंधित तहसीलदार द्वारा प्रार्थना प्रस्तुत किया जाये एवं नियमानुसार निर्णय किया जाकर गलत रूप से इंद्राज कि गई गैर खातेदारी की प्रविष्टि को हटाने की कार्यवाही की जावे।

9. उपरोक्त विवेचन व विश्लेषण एवं साक्ष्य के आधार पर ग्राम सनोरिया तहसील सुनेल की आराजी ख.नं. 215 रकबा 0.0379 है. एवं खसरा न0 218 रकबा 0.1897 है. किता 2. के संबंध में राजस्व रिकार्ड में सेटलमेंट विभाग द्वारा की गई त्रुटी के इन्द्राज दुरूस्ती का प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एलआरएक्ट न्यायहित में स्वीकार किये जाने योग्य है।

—::क्रियात्मक आदेश::—

10. परिणामस्वरूप प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल.आर.एक्ट बावत दुरस्ती इन्द्राज न्यायहित में स्वीकार किया जाता है। ग्राम सनोरिया तहसील सुनेल की आराजी ख.नं. 215 रकबा 0.0379 है. एवं खसरा न0 218 रकबा 0.1897 है. किता 2 की खातेदारान की वर्तमान प्रविष्टि को दुरूस्त कर पुनः खाता सरकार दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। तहसीलदार सुनेल उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज दुरूस्त करे।

11. यह निर्णय आज दिनांक 24.03.2026 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर हस्ताक्षरित कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

24/3/26

(दिनेश कुमार मीणा, आरएएस)
उपखण्ड अधिकारी, पिड़ावा
जिला झालावाड़ राज0.

Signature Not Verified

Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2026.05.15 13:56:54 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner